फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :— उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. 95/2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10.1.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की पारीगुरा तामीले अप्राप्त। पत्रावली वास्ते बहतरीन रिपोर्ट दिनांक 28/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	28/2/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. का स्थानान्तरण हो गया। ~~राजकार्य में व्यस्त~~ है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/4/25 को पेश हो।
	9.4.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पूर्वाज्ञा की पालना में पत्रावली दिनांक 6/6/25 को पेश हो। dSG उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
	25.4.25	प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब फरमाने पेश करने पर पत्रावली आज की पेशी में ली गयी। प्रकरण से संबंधित मूल वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किए प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTA भी औचित्यहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। dSG उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर